

गुम/खोये 161 अदद मोबाईल बरामद अनुमानित किमत लगभग 2898000/- (आठाइस लास अन्ठानबे हजार) को बरामद कर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ ने मोबाइल स्वामियों को किये सुपुर्द-

आज दिनांक 05-01-2026 को साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर थाना व जनपद मऊ के सभी थानो पर नियुक्त साइबर सेल टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए, CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम /खोये 161 अदद मोबाईल किमत लगभग 2898000/- (आठाइस लास अन्ठानबे हजार) बरामद कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के उपस्थिति में मोबाईल स्वामियों को पुलिस लाइन स्थित सभागार में सुपुर्द किया गया। अपने खोये हुए मोबाइल फोन पुनः प्राप्त कर मोबाइल धारकों द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ एवं जनपदीय पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

विवरण वरामदगी थानावार-

1. साइबर थाना- 13
2. कोतवाली नगर-20
3. सरायलखन्सी-12
4. दक्षिण टोला-6
5. मुहम्मदाबाद-20
6. चिरैयाकोट-6
7. रानीपुर-21
8. घोसी-16
9. दोहरीघाट-7
- 10.10. कोपागंज-17
- 11.मधुबन-11
- 12.रामपुर-3
13. हलधरपुर-9

बरामदगीकर्ता टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक साईबर थाना श्री शैलेस सिंह
2. प्रभारी साईबर सेल श्री राजेश्वर पाण्डेय
3. सभी थानों पर नियुक्त साईबर सेल टीम

आज दिनांक 05.01.2026 को तहसील मधुबन में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की गई। समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अपहरण से संबंधित मामले 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.01.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मुहम्मदाबाद के पूर्वी फाटक के पास से मु0अ0स0 475/25 धारा 87, 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राजू उर्फ शिवा कश्यप पुत्र राजेश कश्यप निवासी नगरीपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. राजू उर्फ शिवा कश्यप पुत्र राजेश कश्यप निवासी नगरीपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 475/25 धारा 87, 137(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 लक्ष्मी प्रकाश उपाध्याय थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
2. का0 अभिनव मिश्र थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
3. का0 अरुण कुमार जयसवाल थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.01.2026 को थाना कोपागंज पुलिस वारंटी अभियुक्त दशरथ राम पुत्र धन्नी निवासी महुवार थाना कोपागंज जनपद मऊ, थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मनेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामदास प्रसाद निवासी पवनी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गैंगरेप से सम्बन्धित 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व व श्रीमान अपरपुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान रानीपुर पुलिस को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें दो दिन पूर्व हुए नाबालिग गैंगरेप से सम्बन्धित तीनों बाल अपचारियों को थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दो दिवस पूर्व पंजीकृत नाबालिग बालिका से गैंगरेप से सम्बन्धित मु.अ.सं. 03/2026 धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में नामित तीन नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में फतेहपुर बाजार में थानाध्यक्ष रानीपुर अपनी टीम के साथ मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर चकिया बाजार से आगे सन्त रविदास मन्दिर से 100 मीटर सुल्तानीपुर जाने वाले मार्ग से तीनों अभियुक्त जो कही भागने की फिराक में थे कि पुलिस टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गये बाल अपचारियों से नाम पता पूछताछ किया गया तीनों ने अपना अपना नाम 1.सत्यम कश्यप पुत्र मखन्चु कश्यप निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 17 वर्ष 2.विवेक कश्यप पुत्र शिव प्रकाश कश्यप उर्फ मन्टु निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ

उम्र करीब 17 वर्ष 3. करन पासवान पुत्र जितेन्द्र पासवान निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 16 वर्ष बताया व कड़ाई से पूछताछ पर बताये कि हम लोगो ने जो अपने गांव की लड़की कविता चौहान के साथ जबर दस्ती गन्दा काम किया है उसके सम्बन्ध में थाना रानीपुर पर मुकदमा लिखा गया है पुलिस हमलोगो को गिरफ्तार न कर ले इसी डर से हम लोग भाग रहे थे। उक्त तीनों बाल अभियुक्तों को कारण बताते हुए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

बाल अपचारीगण-

1. सत्यम कश्यप पुत्र मखन्चु कश्यप निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 17 वर्ष
2. विवेक कश्यप पुत्र शिव प्रकाश कश्यप उर्फ मन्टु निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 17 वर्ष
3. करन पासवान पुत्र जितेन्द्र पासवान निवासी मण्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 16 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं. 03/2026 धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 अख्तर अली, थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
3. का0 पंकज यादव, थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
4. कां0 आलोक सिंह, थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
5. कां0 राम प्रसाद थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

थाना कोपागंज जनपद मऊ पुलिस द्वारा थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोपागंज जनपद मऊ, वाद सं0 2287/2025 कंम्प्यूरीकृत वाद सं0 डी 202515510002287 सरकार बनाम विशाल सोनकर उर्फ राज से सम्बन्धित अभियुक्त

विशाल सोनकर उर्फ राज पुत्र दुलारे सोनकर सा0 वार्ड न0-1 बसावनपुर चिल्लूपार थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, के बाजारू मूल्य लगभग 70,00,000 रू0 (सत्तर लाख रुपये) की सम्पत्ती की कुर्की/जब्ती की कार्यवाही किया गया।

न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल आजमगढ़ जनपद तहसील वाद सं0 2287/2025 कंप्यूटरीकृत वाद सं0 डी 202515510002287 सरकार बनाम विशाल सोनकर उर्फ राज अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वांछित अपराधियों के विरुद्ध कुर्की अभियान के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, के कुशल निर्देशन मे, दिनांक 05.01.2026 को मै प्रभारी निरीक्षक प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ राय मय हमराह म0उ0नि0 प्रियका सिंह, हे0का0 बृजेश सिंह का0 प्रेमनाथ यादव, का0 सुधीर कुमार यादव मय चालक हे0का0 कृष्ण कुमार सिंह के साथ अभियुक्त विशाल सोनकर उर्फ राज पुत्र दुलारे सोनकर सा0 वार्ड न0-1 बसावनपुर चिल्लूपार थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर के घर आया जहाँ पर पहले से तहसीलदार सत्येन्द्र मौर्या तहसील गोला गोरखपुर,क्षेत्री कानूनगो श्रीराम मोती वर्मा थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर,क्षेत्रीय लेखापाल अरविन्द्र कुमार विश्वकर्मा थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर,क्षेत्राधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सर्किल घोसी जनपद मऊ, मय हमराह,प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ,प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, मय हमराह,प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ,मय हमराह मौजूद मिले जिनके समय मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल सोनकर उर्फ राज पुत्र दुलारे सोनकर सा0 वार्ड न0-1 बसावनपुर चिल्लूपार थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर के द्वारा अवैध ढंग स क्रय किये गये अपनी माता माधुरी देवी पत्नी दुलारे सोनकर वार्ड न0-1 बसावनपुर चिल्लूपार थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर के सम्पत्ति अ0नं0 628 रकबा 163.551 वर्ग मीटर सम्पत्ति की मूल्य लगभग 70,00,000 रुपये (सत्तर लाख रुपये) की नियमानुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही किया गया।

कुर्की से सम्बन्धित अभियुक्त का विवरण

विशाल सोनकर उर्फ राज पुत्र दुलारे सोनकर सा0 वार्ड न0-1 बसावनपुर चिल्लूपार थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 01/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

- (2) मु0अ0सं0-203/2024 धारा- 303,303(2),317(2), 317(4), 317(5),318(4), 319 (2) बी. एन. एस. थाना दोहरीघाट, मऊ
- (3). मु०अ०सं०- 120/2024, धारा-379/411/413/414 भा०द०स० थाना दोहरीघाट, मऊ
- (4). मु0अ0सं0-127/2024, धारा-379/411/413/414/419/420 भा०द०वि० थाना दोहरीघाट, मऊ
- (5).मु0अ0सं0-149/2024, धारा-303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(2) बी.एन.एस. थाना दोहरीघाट, मऊ
- (6). मु0अ0सं0-21/2024 धारा 379/411/413/414/419/420 भा०द०स० थाना दोहरीघाट, मऊ
- (7). मु0अ0सं0-198/2024, धारा-303(2) /317(2)/317(4)/317(5)/318(2) बी.एन.एस थाना दोहरीघाट, मऊ
- (8). मु0अ0सं0-431/2024, धारा 303(2)/317(2) बी. एन. एस. थाना घोसी, मऊ
- (9). मु0अ0सं0-596/2024, धारा- 303(2) /317(2) बी.एन.एस. थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

कुर्की कराने वाली टीम का विवरण *

1. प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. क्षेत्राधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सर्किल घोसी जनपद मऊ, मय हमराह
- 3.तहसीलदार सत्येन्द्र मौर्या तहसील गोला गोरखपुर,
4. क्षेत्री कानूनगो श्रीराम मोती वर्मा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
5. क्षेत्रीय लेखापाल अरविन्द्र कुमार विश्वकर्मा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
- 6.प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, मय हमराह
- 7.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ,मय हमराह
8. म0उ0नि0 प्रियंका सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
- 09.हे0का0 बृजेश सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
- 10.का0 प्रेमनाथ यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
- 11.का0 सुधीर कुमार यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।